परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 16-9-78 को 3=30 बजे अपरान्ह हुई उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1978 की पंचम बैठक की कार्यवृत्त ।

उपस्थित

(1)	श्री बी०जे०बोदायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री ए०पी०सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
(3)	श्री त्रिभुवन नारायन सिंह		सदस्य
(4)	श्री राम औतार दीक्षित		सदस्य
(5)	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(6)	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(7)	श्री मोहर सिंह	संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन, विभाग	सदस्य

क्रम सं०	विषय	संकल्प	निर्णय
(1)	दिनांक 17-7-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	V/(1)/78	परिषद की दिनांक 17-7-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ की गई । परिषद निर्णय IV/(37)/78 — दुसरी पंक्ति में शब्द 'कि' एवं 'परिषद कार्यालय' के बीच निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जाय । '' वर्तमान स्थान में बहुखण्डी भवन न बनाया जाय बल्कि '' ।
(2)	परिषद की बैठक दिनांक 17-7-78 की कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या ।	V/(2)/78	परिषद द्वारा दिनांक 17-7-78 को हुई बैठक के कार्य-वृत्त का अवलोकन किया गया ।
(3)	राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ के सेक्टर 1 व 2 में कुछ बची हुई भूमि पर भवनों का निर्माण ।	V/(3)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(4)	राम सागर मिश्र नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ में निर्माणाधीन रिहायसी भवनों से निकलने वाले सीवेज के निष्कासन के वास्ते भूमि अर्जन हेतु परिषद के अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राकलन ।	V/(4)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृत प्रदान करते हुये यह निर्देश दिया गया कि चूंकि अन्त: योजना अन्तर्गत विकसित भूमि नगर महापालिका को हस्तान्तरित की जानी है अत: नगर महापालिका को भी स्थिति से अवगत करा दिया जाये ।

1	2	3	4
(13)	परिषद की सेवाओं में विभिन्न वर्गों/जातियों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण ।	V/(13)/78	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्देश दिया गया कि ~~xxxxxx~~ प्रस्तावित संशोधन का विस्तृत आलेख्य तैयार करके वेट करा लिया जाये ।
(14)	मुख्यालय पर एकअतिरिक्त टेलीफोन आपरेटर के पद की स्वीकृति ।	V/(14)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया गया परिषद व्दारा यह निर्देश दिये गये कि वर्तमान स्टाफ में से 2, 3 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर नियमित आपरेटर के स्थान पर कार्य कर सकें । आवास आयुक्त को ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को विशेष मानदेय स्वीकृत करने का अधिकार भी दिया गया ।
(15)	परिषद में वरिष्ठ नगर नियोजक एवं वास्तुविद् के पद पर सीधी भर्ती व्दारा नियुक्ति के संबंध में ।	V/(15)/78	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि श्री पचौरी को परिषद सेवा में योगदान करने के पूर्व अपने वर्तमान पद से त्याग पत्र देना होगा ।
(16)	हरिव्दार रोड पर स्थित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या -3, ऋषिकेश की धारा 31(2) के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	V/(16)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद व्दारा यह निर्णय लिया गया कि बगीचे का भाग निकाल दिया जाय और शेष भूमि अध्याप्ति की जाये ।
(17)	रायबरेली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, की धारा 31(2) के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	V/(17)/78	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

पुष्टि की गई ।

[signature] 13/12/78

अध्यक्ष

13/12/78